



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

प्रार्थना पत्र संख्या – 105/2017

मनफूल देवी बनाम देवीसिंह वगै.

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 22.6.2018 | <p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प खवास में पेश हुई । प्रार्थी के मूल वाद का निस्तारण हो जाने से पत्रावली में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नही होने पत्रावली खारिज योग्य हे । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी केकडी</p> | |